

**अधिसूचना संख्या 11/2016 [एफ.सं.डीजीआईटी(एस)-एडीजी(एस)-2/ई-फाइलिंग अधिसूचना/106/2016],
दिनांक 22-6-2016**

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 200 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कर कटौती के विवरण और धारा 206सी की उप-धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत कर संग्रहण के विवरण से संबंधित प्रावधान क्रमशः आयकर नियम, 1962 (नियम) के नियम 31क और नियम 31कक के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। नियम 31क के उप-नियम (5) और नियम 31कक के उप-नियम (5) के अनुसार आयकर महानिदेशक (प्रणाली) विवरणों को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और इस प्रकार निर्दिष्ट तरीके से विवरणों को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे।

2. नियम 31क के उप-नियम (5) और नियम 31कक के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ई-फाइलिंग निवाहिका में पंजीकरण की निम्नलिखित प्रक्रियाएँ, विवरण तैयार करने और विवरण प्रस्तुत करने का तरीका निम्नानुसार निर्धारित करते हैं:

3. कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं के पास ई-फाइलिंग निवाहिका के माध्यम से ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने या टीआईएन सुविधा केंद्रों पर जमा करने का विकल्प होगा। ई-फाइलिंग निवाहिका के माध्यम से ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- a. **पंजीकरण:** कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता के पास वैध टैन होना चाहिए तथा "ई-टीडीएस/ई-टीसीएस रिटर्न" दाखिल करने के लिए उसे ई-फाइलिंग वेबसाइट (<https://incometaxindiaefiling.gov.in/>) पर "कर कटौतीकर्ता एवं संग्रहकर्ता" के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- b. **तैयारी:** टीडीएस/टीसीएस विवरण तैयार करने के लिए रिटर्न तैयारी उपयोगिता (आरपीयू) और विवरणों को मान्य करने के लिए फ़ाइल सत्यापन उपयोगिता (एफवीयू) को टिन-एनएसडीएल वेबसाइट (<https://www.tin-nsdl.com/>) से डाउनलोड किया जा सकता है। विवरण को ज़िप फ़ाइल के रूप में अपलोड करना होगा तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का उपयोग करके प्रस्तुत करना होगा। डीएससी मोड के लिए, ज़िप फ़ाइल के लिए हस्ताक्षर डीएससी प्रबंधन उपयोगिता (ई-फाइलिंग वेबसाइट <http://incometaxindiaefiling.gov.in/> में डाउनलोड के अंतर्गत उपलब्ध) का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता ईवीसी का उपयोग करके ई-सत्यापन कर सकते हैं।
- c. **प्रस्तुतिकरण:** कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता को टैन का उपयोग करके ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और टीडीएस -> अपलोड टीडीएस पर जाना होगा। कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता को हस्ताक्षर फ़ाइल (जैसा कि ऊपर पैरा (ख) में बताया गया है) या ईवीसी के साथ "ज़िप" फ़ाइल अपलोड करनी होगी।

4. ईवीसी निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है:

- a. नेट बैंकिंग - मुख्य संपर्क व्यक्ति के नेट बैंकिंग लॉगिन (पंजीकृत पैन से जुड़ा हुआ) का उपयोग कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता के टैन के लिए ईवीसी तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
- b. आधार ओटीपी - इस विकल्प का उपयोग करने के लिए मुख्य संपर्क व्यक्ति के पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
- c. बैंक खाता संख्या - मुख्य संपर्क व्यक्ति इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए अपने पूर्व-मान्य बैंक खाता विवरण का उपयोग कर सकता है।
- d. डीमैट खाता संख्या - मुख्य संपर्क व्यक्ति इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए अपने पूर्व-मान्य

डीमैट खाते के विवरण का उपयोग कर सकता है।

इस पूर्व-निर्मित ईवीसी का उपयोग टीडीएस रिटर्न को ई-सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।

5. अपलोड होने के बाद, विवरण की स्थिति "अपलोड" के रूप में दर्शाई जाएगी। अपलोड की गई फ़ाइल को संसाधित और मान्य किया जाएगा। सत्यापन के बाद, स्थिति "स्वीकृत" या "अस्वीकृत" के रूप में दर्शाई जाएगी, जो अपलोड के समय से 24 घंटे के भीतर दिखाई देगी। अपलोड की गई फ़ाइल की स्थिति टीडीएस-> फाइल किया गया टीडीएस देखें पर दिखाई देती है। यदि जमा की गई फ़ाइल "अस्वीकृत" है, तो अस्वीकरण का कारण प्रदर्शित किया जाएगा।

■ ■